सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 23, बुधवार, शाके 1944-सितम्बर 14, 2022 *Bhadra 23, Wednesday , Saka 1944- September 14, 2022*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 14, 2022

संख्या एफ15(41)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2022/1208 :- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/ 22/1841 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत नरायना के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम नरायना एवं ग्राम भरतोलाव के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नरायना को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत नरायना के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम नरायना एवं ग्राम भरतोलाव के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/1841 दिनांक 27.06.2022 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका नरायना में सम्मिलित ग्राम पंचायत नरायना के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम नरायना एवं ग्राम भरतोलाव के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र, पंचायत समिति- सांभरलेक, जिला जयपुर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,

नवीन जैन,

शासन सचिव।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 14, 2022

संख्या एफ15(41)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2022/1209 :- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/ 22/1792 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत ऋषभदेव के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं समीप में आने वाले राजस्व ग्राम धूलेव, भाउवा एवं ग्राम पंचायत थाणा के राजस्व ग्राम थाणा, रायणा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ऋषभदेव को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत ऋषभदेव एवं राजस्व ग्राम धूलेव, भाउवा एवं ग्राम पंचायत थाणा के राजस्व ग्राम थाणा, रायणा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/1792 दिनांक 24.06.2022 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका ऋषभदेव में सम्मिलित ग्राम पंचायत ऋषभदेव के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं समीप में आने वाले राजस्व ग्राम धूलेव, भाउवा एवं ग्राम पंचायत थाणा के राजस्व ग्राम थाणा, रायणा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र, पंचायत समिति- ऋषभदेव, जिला उदयपुर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,

नवीन जैन,

शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।